पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक 3786 /अका./का.प/2024 रायपुर, दिनांक 11 /07/2024

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '89वाँ' बैठक शुक्रवार दिनांक 19.07.2024 को अपराह्न 3.00 बजे की विषयसूची

1. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.06.2024 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।**

   टीपः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

2. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.06.2024 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।**

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

3. **वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2017–18 अंकेक्षण आपत्तियों के निराकरण कर पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने के संबंध में विचार करना।**

   टीपः वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2017–18 में आवासीय अंकेक्षण द्वारा उठाई गई आडिट आपत्ति का निराकरण कर संयुक्त संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा रायपुर को भेजे जाने वाले पालन प्रतिवेदन के अनुमोदन के संबंध में विचारार्थ।

4. **श्री नरेन्द्र पाल पटेल, द्वितीय श्रेणी लिपिक, छात्र कल्याण विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 16,16,288.00 (रुपए सोलह लाख सोलह हजार दो सौ अठ्यासी मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**

   टीपः श्री नरेन्द्र पाल पटेल, द्वितीय श्रेणी लिपिक, छात्र कल्याण विभाग का दिनांक 31.05.2024 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 16,16,288.00 (रुपए सोलह लाख सोलह हजार दो सौ अठ्यासी मात्र) भुगतान किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

5. **श्री उपेन्द्र यादव, चपरासी, इलेक्ट्रानिक अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 6,75,659.00 (रुपए छः लाख पचहत्तर हजार छः सौ उनसठ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**

   टीपः श्री उपेन्द्र यादव, चपरासी, इलेक्ट्रानिक अध्ययनशाला का दिनांक 30.06.2024 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 6,75,659.00 (रुपए छः लाख पचहत्तर हजार छः सौ उनसठ मात्र) भुगतान किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

6. **विश्वविद्यालय के बजट प्राक्कलन 2024–25 में पुनर्विनियोजन के संबंध में निम्नलिखित प्रकरण पर विचार करना –**

   (1) **बजट प्राक्कलन के शीर्ष F-Examination and Evalution Administration के बिन्दु क्रमांक 3 (Result Processing Charges) में प्रावधानित राशि रू. 1100.00 लाख में से 215.00 लाख बिन्दु क्रमांक 2C (Question Paper Printing) मद में पुनर्विनियोजन के संबंध में कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।**

   (2) **बजट प्राक्कलन के शीर्ष B -Engineering Unit के बिन्दु क्रमांक 18 (Concealed Wiring) मद में प्रावधानित राशि रू. 500.00 लाख में से राशि रू. 22.00 लाख बिन्दु क्रमांक 16 (Maintenance of Air Conditioner/water coolers) मद में पुनर्विनियोजन के संबंध में विचार करना।**

   (3) **बजट प्राक्कलन के शीर्ष B-Engineering Unit के बिन्दु क्रमांक 4(ii)(b) (Scooter Garage/Motor Garage (CarParking)/Vehicle shede & workshop) मद में प्रावधानित राशि रू. 40.00 लाख में से राशि रू. 2.82 लाख बजट प्राक्कलन के शीर्ष E-Directorate of physical Education के बिन्दु क्रमांक 3(i)(c) (Subsidy to Colleges) मद में पुनर्विनियोजित के संबंध में विचार करना।**

मूल विज्ञान केंद्र से प्राप्त प्रस्ताव :–

7. **मूल विज्ञान केन्द्र के षष्ठम् सेमेस्टर के छात्र–छात्राओं को जनवरी–2024 से अप्रैल–2024 का छात्रवृत्ति राशि–6,45,876/–(छः लाख पैतालीस हजार आठ सौ छिहत्तर) रूपये की स्वीकृति पर विचार करना।**

टीपः– मूल विज्ञान केन्द्र में दिनांक–14.08.2015 को कार्यपरिषद् की बैठक में लिए गए निर्णय क्रमांक–04 के अनुसार मूल विज्ञान केंद्र में प्रवेशित छात्र–छात्राओं को प्रतिमाह राशि 5000/– रूपये छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है। जिसके परिप्रेक्ष्य में मूल विज्ञान केंद्र के षष्ठम् सेमेस्टर के छात्र–छात्राओं को माह जनवरी–2024 से अप्रैल–2024(एरियर्स सहित) हेतु कुल राशि–6,45,876/–(छः लाख पैतालीस हजार आठ सौ छिहत्तर) की छात्रवृत्ति भुगतान के संबंध में विचारार्थ।

8. **श्रीमती बुधियारीन बाई, चपरासी के अवकाश प्रकरण के संबंध में विचार करना।**

टीपः– श्रीमती बुधियारीन, चपरासी, फार्मेसी संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दिनांक 06.04.2024 से 18.03.2024 तक़ कुल 347 दिनो का ब्रेन स्ट्रोक होने के कारण चिकित्सा अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत की गई है इनके अवकाश लेखे में 26 दिनों का एच.पी.एल शेष है एवं 300+15 दिनों का अर्जित अवकाश शेष है। इनका अवकाश का निराकरण किये जाने हेतु निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जा सकता हैः–

1.दिनांक 06.04.2023 से 09.04.2023 तक 04 दिनों का अवैतनिक अवकाश
(अस्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है)
2.दिनांक 10.04.2023 से 22.04.2023 तक 13 दिनों का लधुकृत अवकाश
3.दिनांक 23.04.2023 से 03.03.2024 तक 315 दिनों का अर्जित अवकाश
4.दिनांक 04.03.2024 से 18.03.2024 तक 15 दिनों का अवैतनिक अवकाश
(अवकाश की पात्रता नहीं होने के कारण 15 दिनों का अवैतनिक अवकश)

इनका अवकाश प्रकरण निराकरण किये जाने हेतु प्रस्तुत।

9. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।**

आदेशानुसार,
11/7/24
कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 3787/अका./का.प/2024 रायपुर, दिनांक 11 /07/2024

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

उप–कुलसचिव (अका.)

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '89वाँ' बैठक शुक्रवार दिनांक 19.07.2024 को अपराह्न 3.00 बजे की पूरक विषयसूची

1. **विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 10.07.2024 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।** **(पृष्ठ क्र. 01 से 03 तक)**

   टीपः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

2. **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.07.2024 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।** **(पृष्ठ क्र. 01 से 06 तक)**

   टीपः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

3. **3281/2022 निर्णय दिनांक 16.06.2022 अवमानना प्रकरण क्र. 943/2022 श्रीमती विद्या शर्मा विरूद्ध पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं अन्य पर पारित निर्णय।**

   टीपः श्रीमती विद्या शर्मा, से.नि. प्र.श्रे.लि. के अवमानना प्रकरण क्र. 943/2022 पर विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.06.2024 में लिए गए निर्णय के अनुसार डबल बेंच में W.A. No. 389/2024 दायर किया गया था, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न निर्णय पारित किया गया है– "Apart from merit, delay is also one of the main consideration while deciding a matter. It is well settled that delay is very significant in matters of granting relief and Courts cannot come to the rescue of the party which is not vigilant of this rights. The appellants, which is University cannot be expected to take its own time in filling the appeal according to its own convenience and there is no reason whatsoever worth consideration with regard to condoning the inordinate delay of 676 days. We do not find any illegality or irregularity in the order passed by the learned Single Judge and as such this appeal stands dismissed on the ground of inordinate delay and laches in filling this appeal.

   प्रकरण क्र. 3281/2022 श्रीमती विद्या शर्मा विरूद्ध पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. एवं अन्य पर माननीय उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच द्वारा श्रीमती विद्या शर्मा को 10 प्रतिशत पेंशन एवं ग्रेच्युटी का ब्याज सहित आदेश पारित होने के 60 दिवस के भीतर उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रदान किए जाने हेतु आदेशित किया गया था।

   उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में छ.ग. शासन उच्च शिक्षा संचालनालय ने अपने पत्र दिनांक 30/97/आउशि/न्या.प्र./2024 दिनांक 30.04.2024 एवं पत्र क्र. 44/97/आउशि/न्या.प्र./2024 दिनांक 20.05.2024 के द्वारा 10 प्रतिशत पेंशन एवं ग्रेच्युटी राशि का भुगतान विश्वविद्यालय को किए जाने हेतु आदेशित किया गया है।

   अतः श्रीमती विद्या शर्मा, से.नि. प्र.श्रे.लि. को शेष 10 प्रतिशत पेंशन एवं ग्रेच्युटी राशि का ब्याज की गणना उपरांत भुगतान किए जाने के संबंध में प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत। प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

4. **श्री कन्हैया लाल रावटे, वरिष्ठ अधीक्षक (अनि.से.नि.) द्वारा परिनियम 31 नियम 58(1) के तहत दिनांक 03.07.2024 द्वारा अपनी अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश क्र. 2904/सा.प्रशा./2016 दिनांक 30.07.2016 को निरस्त किए जाने के आवेदन के संबंध में विचार करना।**

टीपः श्री कन्हैया लाल रावटे, वरिष्ठ अधीक्षक (अनि.से.नि.) द्वारा परिनियम 31 नियम 58(1) के तहत दिनांक 03.07.2024 द्वारा अपनी अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश क्र. 2904/सा.प्रशा./2016 दिनांक 30.07.2016 को निरस्त किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद्के समक्ष अपील प्रस्तुत किया है।

उक्त संबंध में लेख है कि श्री कन्हैया लाल रावटे को बिना पूर्व सूचना एवं आवेदन के लगातार अनुपस्थित रहने तथा कई बार कारण बताओ नोटिस जारी करने, अनुपस्थित दिवसों को वेतन रोकने तथा 140 दिनों का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किए जाने के बाद भी कार्य संतोषप्रद न होने तथा कार्यालयीन आदेशों की अवहेलना किए जाने के फलस्वरूप पत्र क्र. 1510/सा.पशा./2016 दिनांक 02.05.2016 के द्वारा तीन माह पूर्व अनिवार्य सेवानिवृत्ति संबंधी सूचना दी गई तथा परिनियम 31 की कंडिका 12, 13(अ–1) एवं 57 (1–इ) के प्रावधानानुसार दिनांक 01.08.2016 से अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है।

उक्त अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश के विरूद्ध श्री कन्हैया लाल रावटे द्वारा माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत अपील आवेदन दिनांक 04.08.2016 तथा 06.04.2017 को खारिज कर दिया गया है। साथ ही छ.ग. अनुसूचित जनजाति आयोग, छ.ग. शासन की श्री रावटे को बहाल किए जाने संबंधी अनुशंसा दिनांक 13.03.2019, 11.09.2019 एवं 29.02.2020 के संबंध में भी विश्वविद्यालय द्वारा श्री रावटे के विरूद्ध की गई कार्यवाही को मान्य किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर वाद क्र. WPS No. 255/2020 श्री कन्हैया लाल रावटे विरूद्ध कुलसचिव पर माननीय न्यायालय का दिनांक 27.06.2024 को पारित आदेश निम्नानुसार है –

"Learned counsel for respondent No. 1 would submit that against the order passed by the Registrar appeal would lye before the Executive Council of the University as per Statute No. 31(58)(2) of the Chhattisgarh University Act, 1973.

Let the petitioned prefer appeal within 10 days from the date of receipt of copy of thi order and thereafter, the Executive Councile of the University will decide the appeal within 2 months.

List this case on 28th August, 2024 in fresh matter."

माननीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को उक्त आदेश पारित होने के 10 दिनों के भीतर मान. कार्यपरिषदे् समक्ष अपील करने तथा कार्यपरिषद् द्वारा दो माह के भीतर उपर्युक्त अपील प्रकरण पर निर्णय लिए जाने का उल्लेख किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त पारित आदेश के परिपालन में श्री कन्हैया लाल रावटे, वरि. अधीक्षक (अनि. सेवानिवृत्त) का अपील प्रकरण माननीय कार्यपरिषद्के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

5. **उच्च शिक्षा विभाग के 'अतिथि व्याख्याता नीति (पॉलिसी) –2024' को अंगीकृत करने के संबंध में विचार करना।**

टीपः अवर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक 3–54/स्था./2020/38–1 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20.06.2024 के द्वारा **अतिथि व्याख्याता नीति (पॉलिसी) –2024** को तत्काल प्रभाव से शासकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में लागू किए जाने के निर्देश दिए गए है । इस नीति के तहत महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में नियमित रिक्त पदों के विरूद्व न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ताधारी आवेदकों के उपलब्ध होने की स्थिति में अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि कीडा अधिकारी की व्यवस्था की जा सकेगी एवं निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ताधारी आवेदकों के उपलब्ध न होने की स्थिति में अतिथि शिक्षण सहायक, अतिथि ग्रंथालय सहायक एवं अतिथि कीडा सहायक की व्यवस्था की जा सकेगी।

तदनुसार समिति द्वारा रिक्त पदों की गणना कर, विषयवार अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विज्ञापन तैयार किया जायेगा । अतिथि व्याख्याता एवं अन्य अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि

कीडा अधिकारी को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अनुरूप होगी। तत्संबंध में उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त निर्देश के परिपालन में विश्वविद्यालय द्वारा अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु **विज्ञापन कमांक 2127/स्था./सा.प्रशा./2024 रायपुर दिनांक 05.07.2024** जारी किया गया है।

पुनःश्च **अतिथि व्याख्याता नीति 2024** के संबंध में सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र कमांक 77/नि.स./स./उ.शि./2024 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12.07.2024 के द्वारा संशोधन निर्देश जारी किए गए है।

1. **कंडिका क. 5.1** :–अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम 018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी । विनियम 2018 के अंतर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग (असंपन्न वर्ग) एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए ।
2. अतिथि व्यवस्था अंतर्गत मूल्यांकन प्रपत्र (परिशिष्ट–5) में अध्यापन के कुल अंक 40 एवं परीक्षा परिणाम के कुल अंक 20 निर्धारित है ।

इस नीति में निम्नानुसार स्पष्टीकरण किया गया है :–

1. शासकीय महाविद्यालय एवं राजकीय विश्वविद्यालय में पूर्व से अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्यरत श्रेणी 1, श्रेणी 2, एवं श्रेणी 3 के पदों को रिक्त नहीं माना जायेगा एवं वे यथावत कार्य करते रहेंगे । अतिथि व्याख्याता नीति–2024 अनुसार सभी लाभ प्राप्त करेंगे ।
2. माननीय उच्च न्यायालय के याचिका कं. डब्ल्यू.पी.एस. कं. 5232/2023 एवं अन्य याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 26.06.2024 में पूर्व में दिये गये सभी स्थगनों को हटा दिया गया है एवं उल्लेखित किया गया है कि **"Guest Lecturers to be appointed in the academic session 2024 strictly in accordance with the policy 2024 frame by the stat regarding engagement of Guest Lecturers in the government colleges."** । अतः श्रेणी 1, श्रेणी 2 एवं श्रेणी 3 के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थियों के पदों को रिक्त मानते हुए अतिथि व्याख्याता नीति–2024 के अनुसार विज्ञापन जारी कर अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की व्यवस्था करने की प्रकिया की जाए ।

   श्रेणी 1, श्रेणी 2 एवं श्रेणी 3 से तात्पर्य :–

   श्रेणी 1 संबंधित विषय में पी–एच.डी.
   श्रेणी 2 नेट/सेट परीक्षा उत्तीर्ण
   श्रेणी 3 संबंधित विषय में एम.फिल. धारक

अतः माननीय कार्यपरिषद में रखे जाने वाले प्रस्ताव निम्नानुसार है :–

(1) उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर द्वारा जारी पत्र कमांक 3–54/स्था./2020/38–1 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20.06.2024 **अतिथि व्याख्याता नीति 2024** को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किए जाने के संबंध में ।

(2) अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के संबंध में सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र कमांक 77/नि.स./स./उ.शि./2024 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12.07.2024 के द्वारा **अतिथि व्याख्याता नीति 2024** में संशोधन को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किए जाने के संबंध में ।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विज्ञापन कमांक 2127/स्था./सा.प्रशा./2024 रायपुर दिनांक 05.07.2024 की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।

(4) जारी विज्ञापन में उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन से प्राप्त संशोधन निर्देश–पत्र दिनांक 12.07.2024 के अनुक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए शुद्धि–पत्र की कार्योत्तर स्वीकृति।

(5) विश्वविद्यालय में पूर्व से कार्यरत अतिथि प्राध्यापकों को **अतिथि व्याख्याता नीति 2024** के अनुक्रम में पठन–पाठन हेतु अवसर प्रदान किए जाने के संबंध में ।

अतः माननीय कार्यपरिषद में उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर के **अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के पत्र कमांक** 3–54/स्था./2020/38–1 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20.06.2024 एवं उसके संबंध में जारी किए गए **संशोधन पत्र कमांक** 77/नि.स./स./उ.शि./2024 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12.07.2024 को विश्वविद्यालय में अंगीकृत जाने एवं उक्त के संबंध में की गई कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु अवलोकनार्थ एवं सक्षम अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

6. **प्रकरण कमांक W.P.(S) 5143/2012 डॉ. पुरूषोत्तम लाल चंद्राकर विरूद्ध पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के संबंध में विचार करना।**

टीपः

1. श्री पुरूषोत्तम लाल चंद्राकर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका **W.P.(S) 5143/2012** के द्वारा उन्हें सह–प्राध्यापक भूगोल के पद हेतु साक्षात्कार में शामिल होने हेतु अनुमति दिये जाने हेतु दायर की गई थी ।
2. पूर्व में विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 17.02.2017 के द्वारा श्री पुरूषोत्तम लाल चंद्राकर की सह प्राध्यापक भूगोल के पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के तहत विश्वविद्यालय में नियुक्ति हुई थी । किंतु इनके द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया।
3. माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के द्वारा **W.P.(S) 5143/2012** में दिनांक 20.02.2024 को आदेश पारित करते हुए यह निर्णय दिया गया है कि "The respondent authorities are directed to treat the appointment of the petitioner on the post of Assosicate Professor (Geography) in the University from the date when other candidates were appointed for the said post persuant to the previous advertisment dated 12.08.2011 and grant him all the consequential benefits accordingly, expect the monetary benefits". **(Annexure 1)**
4. विश्वविद्यालय के द्वारा किसी भी अन्य अभ्यर्थी की सह–प्राध्यापक भूगोल के पद पर विज्ञापन दिनांक 12.08.2011 के तहत नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है । रिट याचिका **W.P.(S) 5143/2012** में वर्ष 2012 से नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु कोई प्रार्थना ही नहीं की गई थी । श्री पुरूषोत्तम लाल चंद्राकर की उक्त पद पर विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 17.02.2017 के द्वारा नियुक्ति की गई थी किन्तु उनके द्वारा उक्त पद पर कार्यभार ही ग्रहण नहीं किया गया था विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 12.08.2011 के उपरांत उक्त पद को रिक्त रखा गया तथा उक्त पद को विश्वविद्यालय के द्वारा पुनः दिनांक 06/09/2023 को विज्ञापित किया गया है ।
5. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.02.2024 के संबंध में विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष **Rev. No. 87 of 2024** दायर किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ के द्वारा बगैर तर्क का अवसर दिये, उनके आदेश दिनांक 20.02.2024 के पुर्नविलोकन का आधार नहीं पाने पर In chamber आदेश दिनांक 06.05.2024 के द्वारा विश्वविद्यालय के द्वारा दायर पुनर्वविलोकन याचिका को खारिज किया गया है क्योंकि पुनर्वविलोकन का दायरा बहुत सीमित होता है तथा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर की एकल पीठ के आदेश दिनांक 20.02.2024 एवं आदेश दिनांक 06.05.2024 के विरूद्ध अपील करने का वैधानिक अवसर विश्वविद्यालय को उपलब्ध है । **(Annexure 2)**
6. श्री पुरूषोत्तम लाल चंद्राकर प्रकरण में एकल पीठ के उक्त दोनों आदेश के अवलोकन के पश्चात् उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री नीरज चौबे का अभिमत है कि, चूंकि वर्तमान में

सह–प्राध्यापक का पद विश्वविद्यालय में रिक्त है तथा विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 17.02.2017 द्वारा इनकी सह–प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति की गई थी तथा माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ के द्वारा श्री पुरूषोत्तम लाल चंद्राकर को किसी भी प्रकार के वित्तीय लाभ **(Except the monetary benefits)** देने के निर्देश नहीं दिए गए है । तत्संबंध में उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री नीरज चौबे का **विधिक अभिमत दिनांक 07.06.2024** संलग्न है । **(Annexure 3)**

7. माननीय कार्यपरिषद के समक्ष निर्णय लिए जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत :–
(1) माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश दिनांक 20.2.2024 का अक्षरशः पालन करते हुए नियुक्ति प्रदान करने के संबंध में ।
(2) माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश के विरूद्व रिट अपील युगल पीठ के समक्ष किए जाने हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत ।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

7. **श्री प्रदीप कुमार शर्मा, तकनीकी सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 9,95,873.00 (रुपए नौ लाख पंचानबे हजार आठ सौ तीरहत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**

टीप: श्री प्रदीप कुमार शर्मा, तकनीकी सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग का दिनांक 30.06.2024 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 9,95,873.00 (रुपए नौ लाख पंचानबे हजार आठ सौ तीरहत्तर मात्र) भुगतान किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

8. **श्री प्रदीप कुमार शर्मा, तकनीकी सहायक का अवकाश नगदीकरण की राशि रु. 9,98,679.00 (रुपए नौ लाख अंठानबे हजार छः सौ उन्यासी मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**

टीप: श्री प्रदीप कुमार शर्मा, तकनीकी सहायक के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप पात्रतानुसार कुल 227 दिवस का अवकाश नगदीकरण स्वीकृत किया गया है। गणनानुसार अवकाश नगदीकरण की राशि रु. 9,98,679.00 (रुपए नौ लाख अंठानबे हजार छः सौ उन्यासी मात्र) भुगतान किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

9. **श्री रामेश्वर राठौर, सहायक कुलसचिव, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर के भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान राशि रु. 10,00,000.00 (रुपए दस लाख मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।**

टीप: श्री रामेश्वर राठौर, सहायक कुलसचिव, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) से प्राप्त आवेदन दिनांक 10.06.2024 द्वारा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान फलस्वरूप राशि रु. 10,00,000.00 (रुपए दस लाख मात्र) भुगतान किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

10. **छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 यथा संशोधित 2024 को विश्वविद्यालय के क्रय प्रक्रिया में अंगीकृत के संबंध में विचार करना।**

टीप: छ.ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर के अधिसूचना क्र. एफ 20–70/2004/11/(6) नवा रायपुर, दिनांक 11 जुलाई, 2024 के द्वारा छ.ग. भंडार क्रय नियम 2002 यथा संशोधित 2022 में संशोधन किया गया है। (आदेश की प्रति संलग्न)

अतः छ.ग. भंडार क्रय नियम 2002 यथा संशोधित 2024 को विश्वविद्यालय के क्रय प्रक्रिया में लागू करने हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

11. **महिला छात्रावास एवं पावरग्रिड छात्रावास के लिये अलमारी क्रय एवं राशि रु. 5,78,595=00 (रुपए पांच लाख अठहत्तर हजार पांच सौ पंच्यानबे मात्र) भुगतान के कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u>: विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास एवं पावरग्रिड छात्रावास के लिये 70 नग अलमारी क्रय हेतु CSIDC Rate Contract के अनुसार Ankur Industries, Nahar Para, Station Road, Raipur (C.G.) को क्रय आदेश क्रमांक 491/विकास/2024 रायपुर, दिनांक 15.07.2024 के द्वारा आदेशित किया गया है। महिला छात्रावास एवं पावरग्रिड छात्रावास के लिये 70 नग अलमारी क्रय करने पर राशि रु. 5,78,595=00 (रुपए पांच लाख अठहत्तर हजार पांच सौ पंच्यानबे मात्र) व्यय होगा।

अतः कार्योत्तर प्रशासनिक स्वीकृति एवं सामग्री आपूर्ति पश्चात् भुगतान किये जाने हेतु राशि रु. 5,78,595=00 (रुपए पांच लाख अठहत्तर हजार पांच सौ पंच्यानबे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

12. **वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा पूर्व कार्य सत्र 2023–24 का देयक राशि रु. 4,16,24,699.42 (चार करोड़ सोलह लाख चौबीस हजार छः सौ निन्यानबे रुपए बयालिस पैसे मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u>:

1. कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 06/03/2023 के पूरक विषय सूची क्रमांक 04 पर University Examination-Results Automation कार्य भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित, आदर्श नगर, कांके रोड, रॉची (NCCF) से कार्य कराये जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त है।
2. उक्त फर्म से दिनांक 13/03/2023 को हुये अनुबंध पृष्ठ क.02 के कडिण्का (A) के अनुसार प्रति छात्र प्रति वर्ष के कार्य हेतु 421.00 जीएसटी अतिरिक्त देय होगा। अनुबंध में उल्लेख किया गया है।
3. उक्त फर्म द्वारा वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा कार्य सत्र 2023–24 के परीक्षा पूर्व कार्य करने के बाद निम्नानुसार देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है :–

Bill No.GM/2024-25/25			**Date 02-07-2024**		
S.N.	**Description**	**Quantity**	**Rate**	**GST**	**Amount**
01	Pre Examination Processing Semester Examination Dec.-Jan 2023-24	33,572 CAN	Rs.210.50	18%	Rs.70,66,906.00
02	Pre Examination Processing Annual Examination 2024	1,34,006 CAN	Rs.210.50	18%	Rs.2,82,08,263.00
	Total	1,67,578 CAN			Rs.3,52,75,169.00
				CGST	Rs.31,74,765.21
				SGST	Rs.31,74,765.21
				Total	**Rs.4,16,24,699.42**
INR Four Crore Sixteen Lakh Twenty Four Thousand Six Hundred Ninety Nine Rupees Forty Two Paisa Only					

प्रस्तावित भुगतान हेतु मद –F.Examination and Evaluation Administration (3) Result Processing Charge, Financial Year 2024-25,

प्रावधानित राशि – राशि रू.1100.00 लाख

प्राप्त देयक स्टॉक पंजी C-01 के पृष्ठ क.35 में दर्ज है। अतः संबंधित फर्म को परीक्षा पूर्व कार्य की राशि रू. 4,16,24,699.42 (चार करोड़ सोलह लाख चौबीस हजार छः सौ निन्यानबे रूपये ब्यालिस पैसे मात्र) भुगतान करने के लिए स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

फार्मेसी संस्थान से प्राप्त प्रस्ताव :–

13. **PCI New Delhi के आदेश कमांक PCI/2539 dated 18 June 2024 के द्वारा फार्मेसी संस्थान में पूर्व संचालित कोर्स के साथ–साथ चार नये M.Pharmacy विषय में सत्र 2024–25 के नवीन विषय प्रारंभ किये जाने हेतु शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों के सेट–अप के संबंध में विचार करना।**

टीप: PCI New Delhi के आदेश कमांक PCI/2539 dated 18 June 2024 के द्वारा विभाग को पूर्व संचालित कोर्स के साथ–साथ चार नये M.Pharmacy विषय में सत्र 2024–25 के लिए मान्यता प्राप्त हुयीं। इस प्रकार विभाग में PCI New Delhi द्वारा निम्नलिखित विषय/कोर्स की मान्यता प्राप्त हुयी हैं।

Courses		Total Seat
1. B.Pharmacy	-	60 (Existing Course)
2. M.Pharm (Pharmaceutics)	-	12 (Existing Course)
3. M.Pharm (Pharmaceutical Analysis)	-	15 (New Course)
4. M.Pharm (Pharmacolgy)	-	15 (New Course)
5. M.Pharm (Pharmaceutical Biotechnology)	-	15 (New Course)
6. M.Pharm (Pharmacognsoy)	-	15 (New Course)

फार्मेसी काउॅसिल ऑफ इण्डिया के नियमानुसार पूर्व संचालित एवं नये कोर्स को सम्मिलित रूप से चलाने के लिए Existing Teaching Setup – 13 पद के साथ–साथ 14 नये शिक्षकों की आवश्यकता हैं। इस प्रकार विभाग में कुल 27 शिक्षकों की आवश्यकता है। इसी तारतम्य में विभाग ने प्रशासनिक अनुमोदन उपरांत दिनांक 28.06.2024 को स्वत्तिीय मद से 14 शैक्षणिक पद की स्वीकृती हेतु वि.वि. के द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

14. **सत्र 2024–25 से अध्ययनशाला में पूर्व संचालित पाठ्यक्रम एवं नवीन पाठ्यक्रम के शुल्क निर्धारण के संबंध में विचार करना।**

टीप: पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के विभिन्न अध्ययनशालाओं से प्राप्त शुल्क की राशि का निर्धारण निम्नानुसार किया जाना है –

S.N.	NAME OF COURSE	EXISTING/NEW COURSE	NO. OF SEAT	Existing Fees	Fees Status (Proposed)
1	M.Sc. (RET)	New Course	10	--	880/- Per Semester, Computer fee-600/- + Other necessory fees
2	M.SC. (Forensic Science)	New Course	20	--	880/- Per Semester, Computer fee-600/- + Other necessory fees
3	M.A.(Sindhi)	New Course	20	--	12000/- per year + Other necessory fees
4	Master Of Hotel Management	New Course	30	--	37000/- per year + Other necessory fees
5	M.Com	New Course	40	--	8015/- per Semester + Other necessory fees
6	M.Pharma (Pharmaceutical Analysis)	New Course	15	--	55000/- Per Semester + Other necessory fees
	M.Pharma (Pharmaceutical Biotechnology)	New Course	15	--	55000/- Per Semester + Other necessory fees
	M.Pharma (Pharmacognosy)	New Course	15	--	55000/- Per Semester + Other necessory fees

	M.Pharma (Pharmacology)	New Course	15	--	55000/- Per Semester + Other necessory fees
7	B.Pharma	Existing Course	60	25000/- per year	20000/- per Semester (40000/- per year) + Other necessory fees

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

15. **बजट 2024–25 में पुनर्विनियोजन के संबंध में विचार करना।**

टीपः बजट शीर्ष I-General Miscellanueous के अंतर्गत मद कंडिका क्रमांक 3. Miscellaneous में प्रावधानित राशि रु. 25.00 लाख में से राशि रु. 5.00 लाख बजट शीर्ष A-General Administration के अंतर्गत मद कंडिका क्रमांक 14. Scholarship awarded by University मद में पुनर्विनियोजित करते हुए इस मद का उपयोग PRSU Research Scholarship तथा Seed money for Research Promotion हेतु किया जाना है।

इसी अनुक्रम में बजट शीर्ष A-General Administration के अंतर्गत मद कंडिका क्रमांक 14. Scholarship awarded by University के अंतर्गत Seed money for Research Promotion for Teachers and Research Scholars of UTDs of PRSU के प्रयोजन से आगामी वित्तीय बजट सत्र हेतु उपमद/नवीन मद निर्मित/प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

16. **श्री महेन्द्र कुमार भिड़े, पूर्व कनि. अधीक्षक के अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश क्र. 749/सा.प्रशा./2015 दिनांक 19.03.2015 को निरस्त किए जाने के संबंध में।**

टीपः श्री महेन्द्र कुमार भिड़े, कनि. अधी. (अनि.से.नि.) के द्वारा वर्ष 1994 को जारी द्वि.श्रे.लि. की वरिष्ठता सूची में संशोधन के संबंध में माननीय न्यायालय में वाद क्र. 6778/2007 दायर किया गया था, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08.05.2012 को खारिज कर दिया गया।

श्री भिड़े द्वारा बिना सक्षम अनुमति के अपने प्रकरण के समर्थन में वरिष्ठता सूची, पदोन्नति समिति की अनुशंसा एवं वरिष्ठता निराकरण समिति का अभिमत की छायाप्रति माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 07.06.2012 के द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया तथा आदेश क्र. 1304/सा.प्रशा./2013 दिनांक 30.03.2013 के द्वारा श्री भिड़े को निलंबित करते हुए विभागीय जाँच संस्थित की गई।

विभागीय जाँच उपरांत प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार श्री भिड़े के विरूद्ध संस्थित समस्त आरोप सही पाए गए तथा आदेश क्र. 749/सा.प्रशा./2015 दिनांक 19.03.2015 के द्वारा उन्हें विश्वविद्यालय की सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी गई, जिसे चुनौती देते हुए माननीय उच्च न्यायालय में वाद क्र. 1589/2013 दायर किया गया, जिस पर अंतिम सुनवाई तक के लिए स्थगन दिया गया था। पुनः श्री भिड़े द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती देते हुए वाद क्र. 1815/2015 दायर किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07.11.2023 को अंतिम निर्णय देते हुए प्रकरण को खारिज कर दिया गया तथा उन्हें उचित मंच पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राहत प्रदान की गई।

श्री भिड़े द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश का पालन न करते हुए पुनः उच्च न्यायालय में अपील प्र.क्र. 509/2023 दायर किया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07.11.2023 को प्रकरण खारिज कर दिया गया।

तत्पश्चात् श्री भिड़े द्वारा दिनांक 15.01.2024 को अपील आवेदन प्रस्तुत करते हुए विश्वविद्यालय के अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश क्र. 749/सा.प्रशा./2015 दिनांक 19.03.2015 को निरस्त करने एवं समस्त देय स्वत्वों का भुगतान किए जाने का निवेदन किया है।

उक्त संबंध में लेख है कि विश्वविद्यालय परिनियम 31 की कंडिका 58(1) के अनुसार– "जहाँ कुलसचिव किसी कर्मचारी पर दंड संस्थापित करता है, संबंधित कर्मचारी कार्यपरिषद के समक्ष आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपील कर सकता है।"

अतः इनके अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश क्र. 749/सा.प्रशा./2015 दिनांक 19.03.2015 को निरस्त किए जाने के संबंध में प्रकरण माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

17. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।**

19/7/24

कुलसचिव